



डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बन्धन/371/2016
दिनांक:....4.10.2016

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

आर0पी0एम0 डिग्री कालेज, कोटा रोड़, हाथरस।

विषय:- आर0पी0एम0 डिग्री कालेज, कोटा रोड़, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर, बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में सम्बन्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या सम्ब0-571/सत्तर-2-2013-2(571)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 सम्ब0-558/सत्तर-2-2013-2(558)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 के द्वारा आर0पी0एम0 डिग्री कालेज, कोटा रोड़, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बन्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार आर0पी0एम0 डिग्री कालेज, कोटा रोड़, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र ए) के साथ दिनांक 01.07.2015 से सम्बन्धता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बन्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बन्धता/सम्बन्धता आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (4) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (5) महाविद्यालय को सम्बन्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटघटित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बन्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बन्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (6) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (7) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगी।
- (8) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजुकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 - II पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बन्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बन्धन/परीक्षा।
8. अधीक्षक सम्बन्धन विभाग।
9. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव